

## द्वितीय अनुसूची

(धारा 522 देखिए)

प्ररूप सं० १

पुलिस द्वारा प्रकट होने के लिए नोटिस

[धारा 35 (3) देखिए]

पुलिस स्टेशन .....

क्रम सं. .....

सेवा में,

[अभियुक्त/नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम]

.....

[अंतिम ज्ञात पता]

.....

[(दूरभाष सं./ई.-मेल पता (यदि कोई हो)]

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35 की उपधारा (3) के अनुसरण में, मैं आपको सूचित करता हूँ.....पुलिस स्टेशन पर रजिस्ट्रीकृत.....धारा के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट/मामला सं० .....तारीख .....के अन्वेषण के दौरान, यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान अन्वेषण के संबंध में आपसे राज्यों और परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए, आपसे प्रश्न पूछने के लिए युक्तियुक्त आधार है। अतः आपको .....पूर्वाह्न/अपराह्न तारीख..... को

.....पर मेरे समक्ष प्रस्तुत होने के लिए निर्देशित किया जाता है।

पुलिस स्टेशन

भारसाधक अधिकारी का नाम और पदनाम

(मोहर)

प्ररूप सं० २  
अभियुक्त व्यक्ति को समन  
(धारा ६३ देखिए)

प्रेषिती .....(अभियुक्त का नाम और  
पता) .....(आरोपित अपराध संक्षेप में  
लिखिए) के आरोप का उत्तर देने के लिए आपका हाजिर होना आवश्यक है, इसलिए आपसे अपेक्षा की  
जाती है कि आप स्वयं (या, यथास्थिति, अधिवक्ता द्वारा).....  
के.....(मजिस्ट्रेट) के समक्ष तारीख.....को  
हाजिर हों। इसमें चूक नहीं होनी चाहिए।  
ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

प्ररूप सं० ३  
गिरफ्तारी का वारण्ट  
(धारा ७२ देखिए)

प्रेषिती .....(उस व्यक्ति का या उस व्यक्तियों के नाम और पदनाम  
जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है)  
.....(पता).....के  
.....(अभियुक्त का नाम) पर .....(अपराध  
लिखिए) के अपराध का आरोप है; इसलिए आपको इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि आप उक्त  
को गिरफ्तार करें और मेरे समक्ष पेश  
करें। इसमें चूक नहीं होनी चाहिए।  
ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

(धारा ७३ देखिए)

यह वारण्ट निम्नलिखित रूप से पृष्ठांकित किया जा सकेगा :—

यदि उक्त .....तारीख..... को मेरे समक्ष हाजिर होने के  
लिए और जब तक मेरे द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए ऐसे हाजिर होते रहने के लिए स्वयं  
.....रूपये की राशि की जमानत.....रूपये की राशि के एक प्रतिभू सहित  
(या दो प्रतिभुओं सहित, जिनमें से प्रत्येक .....रूपये की राशि का होगा) दे दे तो उसे  
छोड़ा जा सकता है।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा) (हस्ताक्षर)

---

**प्ररूप सं० ४**

**वारण्ट के अधीन गिरफ्तारी के पश्चात् बंधपत्र और जमानतपत्र**

(धारा ८३ देखिए)

मैं .....(नाम), जो कि .....  
(पता) का हूँ .....के आरोप का उत्तर देने के लिए हाजिर होने के लिए  
मुझे विवश करने के लिए जारी किए गए वारण्ट के अधीन .....के जिला मजिस्ट्रेट  
(या यथास्थिति) के समक्ष लाए जाने पर इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूँ कि उक्त आरोप का उत्तर देने  
के लिए मैं अगली तारीख .....को .....के न्यायालय में हाजिर होऊंगा, और जब तक कि  
न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए तब तक ऐसे हाजिर होता रहूँगा; तथा मैं अपने को आबद्ध  
करता हूँ कि यदि इसमें मैंने कोई चूक की तो मेरी ..... रूपये की राशि सरकार को सम्पहत हो  
जाएगी।

ता० .....

(हस्ताक्षर)

.....(पता) के उक्त .....(नाम) के लिए  
मैं अपने को इसके द्वारा इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करता हूँ कि वह उस आरोप का उत्तर देने के लिए,  
जिसके लिए कि वह गिरफ्तार किया गया है, अगली तारीख .....को .....के न्यायालय में  
.....के समक्ष हाजिर होगा, और जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया  
जाए, ऐसे हाजिर होता रहेगा, और मैं अपने को आबद्ध करता हूँ कि यदि इसमें उसने कोई चूक की तो मेरी  
..... रूपये की राशि सरकार को सम्पहत हो जाएगी।

ता० .....

(हस्ताक्षर)

---

**प्ररूप सं0 5**

**अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा**

(धारा 84 देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि ..... (नाम, वर्णन और पता) ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा ..... के अधीन दंडनीय ..... का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त .....(नाम) मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त .....(नाम) फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है);

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि ..... के उक्त .....से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए .....(स्थान) में तारीख ..... को हाजिर हो।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

**प्ररूप सं० ६**

**साक्षी की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा**

(धारा 84, धारा 90 और धारा 93 देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि .....(नाम, वर्णन और पता) ने ..... (अपराध का संक्षेप में वर्णन कीजिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उक्त परिवाद के विषय के बारे में परीक्षा की जाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए ..... (साक्षी का नाम, वर्णन और पता) को विवश करने के लिए वारण्ट जारी किया जा चुका है, तथा उक्त वारण्ट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त ..... (साक्षी का नाम) पर उसकी तामील नहीं की जा सकती; और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शीत कर दिया गया है कि वह फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है);

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त ..... (नाम) से अपेक्षा की जाती है कि वह ..... के उस अपराध के बारे में जिसका परिवाद किया गया है परीक्षा की जाने के लिए तारीख ..... को ..... बजे .....(स्थान) में ..... के न्यायालय के समक्ष हाजिर हो।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए कुर्की का आदेश

(धारा 85 देखिए)

प्रेषिती .....के पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन परिवाद के बारे में अभिसाक्ष्य देने के लिए हाजिर होने के लिए .....(नाम, वर्णन और पता) को विवश करने के लिए वारण्ट सम्यक् रूप से निकाला जा चुका है और उक्त वारण्ट यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उसकी तामील नहीं की जा सकती; और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि वह फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है), और उस पर उक्त .....(नाम) से यह अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा सम्यक् रूप से जारी और प्रकाशित की जा चुकी है या की जा रही है कि वह उसमें उल्लिखित समय और स्थान पर हाजिर हो और साक्ष्य दे;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि .....जिले के अंदर उक्त ..... की ..... रूपये तक की कीमत की जो जंगम संपत्ति आपको मिले उसे आप अभिग्रहण द्वारा कुर्क कर लें और उक्त संपत्ति को इस न्यायालय का आगे और कोई आदेश होने तक कुर्क रखें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

प्रेषिती .....(उस व्यक्ति का या  
उन व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है)

मेरे समक्ष परिचाद किया गया है कि .....(नाम, वर्णन और पता) ने भारतीय  
न्याय संहिता, 2023 की धारा .....के अधीन दंडनीय .....का  
अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह  
लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त .....(नाम) मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद  
रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त .....(नाम) फरार हो गया है (या उक्त  
वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) और उस पर उक्त .....  
से यह अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा सम्यक् रूप से जारी और प्रकाशित की जा चुकी है या की जा रही है  
कि वह .....दिन के अंदर उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए हाजिर हो; तथा  
.....जिले में .....ग्राम (या नगर) में सरकार को राजस्वदायी  
भूमि से भिन्न निम्नलिखित सम्पत्ति अर्थात् .....उक्त .....के  
कब्जे में है और उसकी कुर्की के लिए आदेश किया जा चुका है;

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त संपत्ति को धारा 85 की उपधारा (3) के खंड (क)  
या खंड (ग) या दोनों\* में विनिर्दिष्ट रीति से कुर्क कर लें और उसे इस न्यायालय का आगे और कोई आदेश  
होने तक कुर्क रखें और इस वारंट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करके इसे लौटा दें।  
ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

\* संलग्न की गई संपत्ति की प्रकृति के आधार पर, जो लागू न हों उसे काट दें।

**प्ररूप सं० ९**

**जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर के द्वारा कुर्की किया जाना प्राधिकृत करने के लिए आदेश  
(धारा ८५ देखिए)**

प्रेषिती— ..... जिले का जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि ..... (नाम, वर्णन और पता) ने भारतीय न्याय सहिता, 2023 की धारा ..... के अधीन दंडनीय ..... का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त ..... (नाम) मिल नहीं रहा है; तथा मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि ..... उक्त ..... (नाम) फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) और उस पर उक्त ..... (नाम) से यह अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा सम्यक् रूप से जारी और प्रकाशित की जा चुकी है या की जा रही है कि वह ..... दिन के अंदर उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए हाजिर हो; तथा ..... जिले में ..... (ग्राम या नगर) में सरकार को राजस्वदायी कुछ भूमि उक्त ..... के कब्जे में है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप उक्त भूमि को धारा 85 की उपधारा (4) के खंड (क) या खंड (ग) या दोनों\* में विनिर्दिष्ट रीति से कुर्क करा लें और इस न्यायालय का आगे और कोई आदेश होने तक उसे कुर्क रखें और इस आदेश के अनुसरण में जो कुछ आपने किया हो उसे अविलंब प्रमाणित करें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

\* जो इप्सित नहीं है, उसे काट दें।

साक्षी को लाने के लिए प्रथम बार वारण्ट

(धारा ९० देखिए)

प्रेषिती .....(उस पुलिस अधिकारी का या उस अन्य व्यक्ति का या उन अन्य व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि ..... (पता) के .....  
(अभियुक्त का नाम) ने ..... (अपराध का संक्षेप में वर्णन कीजिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और यह संभाव्य प्रतीत होता है कि ..... (साक्षी का नाम और वर्णन) उक्त परिवाद के बारे में साक्ष्य दे सकते हैं, तथा मेरे पास यह विश्वास करने का अच्छा और पर्याप्त कारण है कि जब तक ऐसा करने के लिए विवश न किए जाएं वह उक्त परिवाद की सुनवाई में साक्षी के रूप में हाजिर नहीं होंगे;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ..... (साक्षी का नाम) को गिरफ्तार करें और उस अपराध के बारे में जिसका परिवाद किया गया है परीक्षा की जाने के लिए उसे तारीख ..... को इस न्यायालय के समक्ष लाएं।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

विशिष्ट अपराध की इतिला के पश्चात् तलाशी के लिए वारण्ट

(धारा ९६ देखिए)

प्रेषिती .....(उस पुलिस अधिकारी का या उस अन्य व्यक्ति का  
या उन अन्य व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है)

.....(अपराध का सक्षेप में वर्णन कीजिए) के अपराध के किए जाने (या किए  
जाने के संदेह) की मेरे समक्ष इतिला दी गई है (या परिवाद किया गया है), और मुझे यह प्रतीत कराया गया  
है कि उक्त अपराध (या संदिग्ध अपराध) की जांच के लिए, जो अब की जा रही है (या की जाने वाली है)

.....(चीज को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट कीजिए) का पेश किया जाना आवश्यक है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप<sup>.....</sup> (उस गृह या स्थान का या उसके उस भाग का वर्णन कीजिए, जिस तक तलाशी  
सीमित रहेगी) में उक्त .....(विनिर्दिष्ट चीज) के लिए तलाशी लें और यदि वह पाई  
जाए तो उसे तुरंत इस न्यायालय के समक्ष पेश करें, और इस वारण्ट के अधीन जो कुछ आपने किया है  
उसे पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे, इसका निष्पादन हो जाने पर, अविलम्ब लौटा दें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

प्रस्तुप सं० १२  
संदिग्ध निष्केप-स्थान की तलाशी के लिए वारण्ट  
(धारा ९७ देखिए)

प्रेषिती .....(कांस्टेबल की  
पक्कि से ऊपर की पंक्ति के पुलिस अधिकारी का नाम और पदनाम)

मेरे समक्ष यह इतिला दी गई है और उस पर की गई सम्यक् जांच के पश्चात् मुझे यह विश्वास हो गया है कि ..... (गृह या अन्य स्थान का वर्णन कीजिए) का चुगाई हुई संपत्ति के निष्केप (या विक्रय) (या यदि धारा में अभिव्यक्त किए गए अन्य प्रयोजनों में से किसी के लिए उपयोग में लाया जाता है तो धारा के शब्दों में उस प्रयोजन को लिखिए) के लिए स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त गृह (या अन्य स्थान) में ऐसी सहायता के साथ प्रवेश करें, जैसी अपेक्षित हो, और यदि आवश्यक है तो उस प्रयोजन के लिए उचित बल का प्रयोग करें और उक्त गृह (या अन्य स्थान) के प्रत्येक भाग (या यदि तलाशी किसी भाग तक ही सीमित रहती है तो उस भाग को स्पष्टतया विनिर्दिष्ट कीजिए) की तलाशी लें और किसी संपत्ति (या यथास्थिति दस्तावेजों या स्टाम्पों या मुद्राओं या सिक्कों या अश्लील वस्तुओं) को (जब मामले में ऐसा अपेक्षित हो तो जोड़िए) और किन्हीं उपकरणों और सामग्रियों को भी जिनके बारे में आपको उचित रूप से विश्वास हो सके कि वे (यथास्थिति) कूटरचित् दस्तावेजों या कूटकृत स्टाम्पों, मिथ्या मुद्राओं या कूटकृत सिक्कों या कूटकृत करेंसी नोटों के विनिर्माण के लिए रखी गई हैं, अभिगृहीत करें और अपने कब्जे में लें और उक्त चीजों में से अपने कब्जे में ली गई चीजों को तत्काल इस न्यायालय के समक्ष लाएं और इस वारण्ट के अधीन जो कुछ आपने किया उसे पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे, इसका निष्पादित हो जाने पर अविलम्ब लौटा दें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

प्रस्तुप सं० १३  
परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र  
(धारा १२५ और धारा १२६ देखिए)

मैं ..... (नाम) ..... (स्थान) का निवासी हूँ, मुझसे यह  
अपेक्षा की गई है कि मैं ..... की अवधि के लिए या जब तक .....  
के न्यायालय में ..... के मामले में इस समय लंबित जांच समाप्त न हो जाए  
परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र लिखूँ;

इसलिए मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूँ कि उक्त अवधि के दौरान, या जब तक उक्त जांच  
समाप्त न हो जाए, परिशांति भंग नहीं करूंगा अथवा कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे परिशांति भंग होना  
संभाव्य हो, और मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूँ कि यदि इसमें मैंने कोई चूक की तो मेरी  
..... रुपये की राशि सरकार को समप्रहृत हो जाएगी।

ता० .....

(हस्ताक्षर)

---

**प्रस्तुप सं० १४**  
**सदाचार के लिए बंधपत्र**  
(धारा १२७, धारा १२८ और धारा १२९ देखिए)

मैं .....(नाम) .....(स्थान) का निवासी हूँ; मुझसे यह अपेक्षा की गई है कि मैं ..... (अवधि लिखिए) की अवधि के लिए या जब तक ..... के न्यायालय में ..... के मामले में इस समय लंबित जांच समाप्त न हो जाए, सरकार और भारत के सब नागरिकों के प्रति सदाचार बरतने के लिए, बंधपत्र लिखूँ;

इसलिए मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूँ कि उक्त अवधि के दौरान या जब तक उक्त जांच समाप्त न हो जाए सरकार और भारत के सब नागरिकों के प्रति सदाचार बरतूँगा और मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूँ कि यदि इसमें मैंने कोई चूक की तो मेरी ..... रुपये की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

(जहाँ प्रतिभुआँ सहित बंधपत्र निष्पादित किया जाना है वहाँ यह जोड़िए)

हम उक्त .....के लिए अपने को इसके द्वारा इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करते हैं कि वह उक्त अवधि के दौरान या जब तक उक्त जांच समाप्त न हो जाए सरकार और भारत के सब नागरिकों के प्रति सदाचार बरतेगा, और हम अपने को संयुक्ततः और पृथक्तः आबद्ध करते हैं कि यदि इसमें उसने कोई चूक की तो हमारी ..... रुपये की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

—

प्रस्तुप सं0 15  
परिशांति भंग की संभावना की इत्तिला पर समन  
(धारा 132 देखिए)

प्रेषिती..... (नाम) ..... (पता) .....

इस विश्वसनीय इत्तिला द्वारा कि ..... (इत्तिला का सार लिखिए) मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि यह संभाव्य है कि आप परिशांति भंग करेंगे (या ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि संभवतः परिशांति भंग होगी); इसलिए इसके द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं (अथवा अपने सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा) तारीख ..... को ..... के मजिस्ट्रेट के कार्यालय में दिन में दस बजे इस बात का कारण दर्शित करने के लिए हाजिर हों कि आपसे यह अपेक्षा क्यों न की जाए कि इस बात के लिए कि आप ..... अवधि के लिए परिशांति कायम रखेंगे आप ..... रूपये के लिए एक बंधपत्र लिखें [जब प्रतिभू अपेक्षित हों तब यह जोड़िए, और एक प्रतिभू (या, यथास्थिति, दो प्रतिभुओं) के (यदि एक से अधिक प्रतिभू हों तो) उसमें से प्रत्येक के ..... रूपये की राशि के लिए बंधपत्र द्वारा भी प्रतिभूति दें]।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफल रहने पर सुपुर्दगी का वारण्ट  
(धारा 141 देखिए)

प्रेषिती..... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी ..... (नाम और पता), उस समन के अनुपालन में, जिससे कि उनसे अपेक्षा की गई थी कि वह इस बात का कारण दर्शित करें कि क्यों न वह एक प्रतिभू सहित (या दो प्रतिभूओं सहित, जिनमें से प्रत्येक ..... रूपये के लिए प्रतिभू हो) ..... रूपये के लिए इस बाबत बंधपत्र लिखे कि वह अर्थात् उक्त ..... (नाम) ..... मास की अवधि के लिए परिशांति कायम रखेंगे, मेरे समक्ष तारीख ..... को स्वयं (या अपने प्राधिकृत, अभिकर्ता द्वारा) हाजिर हुए थे; तथा तब उक्त .....(नाम) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश किया गया था कि वह ऐसी प्रतिभूति (जब आदिष्ट प्रतिभूति समन में उल्लिखित प्रतिभूति से भिन्न है, तब आदिष्ट प्रतिभूति लिखिए) दें और जुटाएं और वह उक्त आदेश का अनुपालन करने में असफल रहे हैं;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ..... (नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उक्त जेल में .....(कारावास की अवधि) की उक्त अवधि के लिए, जब तक इस बीच उनके छोड़े जाने के लिए विधिपूर्वक आदेश न दे दिया जाए, सुरक्षित रखें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

प्रेषिती ..... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि ..... (नाम और वर्णन) ..... जिले के भीतर अपनी उपस्थिति छिपा रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने के लिए ऐसा कर रहा है;

अथवा

.....(नाम और वर्णन) के साधारण चरित्र के बारे में मेरे समक्ष साक्ष्य दिया गया है और अभिलिखित किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि वह आभ्यासिक लुटेरा (या, यथास्थिति, गृहभेदक आदि) आदि है;

तथा ऐसा कथन करने वाला और उक्त .....(नाम) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश अभिलिखित किया गया है कि एक प्रतिभू सहित (या, यथास्थिति, दो या अधिक प्रतिभुओं के सहित) वह स्वयं ..... रुपये के लिए, और उक्त प्रतिभू (या उक्त प्रतिभुओं में से प्रत्येक) ..... रुपये के लिए बंधपन लिखकर ..... (अवधि लिखिए) अवधि के लिए अपने सदाचार के लिए प्रतिभूति दे, और उक्त .....(नाम) उक्त आदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है और ऐसी चूक के लिए उसकी बाबत ..... (अवधि लिखिए) के लिए, जब तक उससे पूर्व ही उक्त प्रतिभूति न दे दी जाए, कारावास का न्यायनिर्णयन किया गया है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .....(नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उक्त जेल में .....(कारावास की अवधि) की उक्त अवधि के लिए, सुरक्षित रखें या यदि वे पहले ही कारागार में हैं तो उसमें निरुद्ध रखें जब तक इस बीच उसके छोड़े जाने के लिए विधिपूर्वक आदेश न दें तो .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावासित व्यक्ति को उन्मोचित  
करने के लिए वारण्ट  
(धारा 141 और धारा 143 देखिए)

प्रेषिती—

.....(स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी (या अन्य अधिकारी जिसकी  
अभिरक्षा में वह व्यक्ति है)।

.....(बंदी का नाम और वर्णन) को ता० ..... के  
न्यायालय के वारण्ट के अधीन आपकी अभिरक्षा से सुपुर्द किया गया था और उसने तत्पश्चात् भारतीय  
नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा ..... के अधीन प्रतिभूति सम्यक् रूप  
से दे दी है;

अथवा

20.....के.....मास के.....,  
दिन के न्यायालय के वारण्ट के अधीन.....(बंदी का नाम और वर्णन) को आपकी  
अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था और मुझे इस राय के पर्याप्त आधार प्रतीत होते हैं कि उसे समाज को  
परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त  
..... (नाम) को अपनी अभिरक्षा से, जब तक उसे किसी अन्य कारण से निरुद्ध  
करना आवश्यक न हो, तत्काल उन्मोचित कर दें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

भरण-पोषण देने में असफल रहने पर कारावास का वारण्ट

(धारा 144 देखिए)

प्रेषिती .....(स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी .....  
 (नाम, वर्णन और पता) के बारे में मेरे समक्ष यह साबित कर दिया गया है कि वह अपनी पत्नी .....(नाम) [या अपने बालक] .....(नाम) या अपने पिता या माता .....(नाम)] का, जो .....(कारण लिखिए) के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, भरण-पोषण करने के पर्याप्त साधन रखता है और उसने उनका भरण-पोषण करने में उपेक्षा की है (या ऐसा करने से इंकार किया है) और उक्त .....(नाम) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश सम्यक् रूप से किया जा चुका है कि वह अपनी उक्त पत्नी (या बालक या पिता या माता) को भरण-पोषण के लिए .....रूपये की मासिक राशि दे, तथा यह भी साबित कर दिया गया है कि उक्त .....उक्त आदेश की जानबूझकर अवहेलना करके .....रूपये, जो .....मास (या मासों) के लिए भर्ते की रकम है, देने में असफल रहा है;  
 और उस पर यह न्यायनिर्णीत करने वाला आदेश किया गया कि वह उक्त जेल में .....अवधि के लिए कारावास भोगे;  
 इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .....(नाम) को उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और वहाँ उक्त आदेश को विधि के अनुसार निष्पादित करें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

कुर्की और विक्रय द्वारा भरण-पोषण का संदाय कराने के लिए वारंट

(धारा 144 देखिए)

प्रेषिती .....(उस पुलिस  
अधिकारी का या अन्य व्यक्ति का नाम और पदनाम जिसे वारंट का निष्पादन करना है)।

.....(नाम) से यह अपेक्षा करने वाला आदेश सम्यक् रूप से किया जा चुका है  
कि वह अपनी उत्त पत्नी (या अपने बालक या पिता या माता) को भरण-पोषण के लिए  
..... रूपये की मासिक राशि दे, तथा उत्त ..... (नाम) उत्त आदेश की जानबूझकर अवहेलना करके ..... रूपये जो .....  
के मास (या मासों) के लिए भत्ते की रकम है, देने में असफल रहा है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप  
..... जिले के अंदर उत्त ..... (नाम) की जो कोई जंगम संपत्ति मिले उसे कुर्क कर लें और यदि ऐसी कुर्की के पश्चात् .....(अनुज्ञात दिनों या घंटों की संख्या लिखिए) के अंदर उत्त राशि नहीं दी जाती है तो (या तत्काल) कुर्क की गई जंगम संपत्ति का या उसके इतने भाग का, जितना उत्त राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त हो, विक्रय कर दें और इस वारंट के अधीन जो कुछ आपने किया हो उसे पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे, इसका निष्पादन हो जाने पर, तुरंत लौटा दें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

प्रस्तुप सं० २१  
न्यूसेंसों को हटाने के लिए आदेश  
(धारा १५२ लिखिए)

प्रेषिती ..... (नाम, वर्णन और पता)।  
मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आपने ..... (यह लिखिए कि वह क्या है जिससे बाधा या न्यूसेंस कारित होता है) इत्यादि, इत्यादि द्वारा सार्वजनिक सड़क मार्ग (या अन्य लोक स्थान) ..... (सड़क या लोक स्थान का वर्णन कीजिए) इत्यादि, इत्यादि को उपयोग में लाने वाले व्यक्तियों को बाधा (या न्यूसेंस) की है और वह बाधा (या न्यूसेंस) अब भी वर्तमान है;

अथवा

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप स्वामी की, या प्रबंधक की हैसियत से .....(विशिष्ट व्यापार या उपजीविका लिखिए) का व्यापार या उपजीविका ..... में (वह स्थान जहाँ वह व्यापार या उपजीविका चलाई जा रही है लिखिए) चला रहे हैं और वह ..... के (जिस रीति से हानिकारक प्रभाव पैदा हुए हैं वहाँ संक्षेपतः लिखिए) कारण लोक-स्वास्थ्य (या सुख) के लिए हानिकारक है और उसे बंद कर दिया जाना चाहिए या दूसरे स्थान को हटा दिया जाना चाहिए;

अथवा

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप लोक मार्ग .....(आप गस्ते का वर्णन कीजिए) के पार्श्वस्थ किसी तालाब (या कुएं या उत्खात) के स्वामी हैं (या उस पर आपका कब्जा है या नियंत्रण है) और उक्त तालाब (या कुएं या उत्खात) पर बाड़ न होने (या असुरक्षित रूप से बाड़ होने) के कारण सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होता है;

अथवा

इत्यादि, इत्यादि (यथास्थिति);  
इसलिए मैं आपको निदेश देता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप ..... (अनुज्ञात समय लिखिए) के अंदर ..... (न्यूसेंस के उपशमन के लिए क्या किया जाना अपेक्षित है वह लिखिए) या तारीख ..... को ..... के न्यायालय में हाजिर हों और इस बात का कारण दर्शित करें कि इस आदेश को क्यों प्रवर्तित न कराया जाए;

अथवा

इसलिए मैं आपको निदेश देता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप ..... (अनुज्ञात समय लिखिए) के अंदर उक्त व्यापार या उपजीविका को उक्त स्थान में चलाना बंद कर दें और उसे फिर न चलाएं या उक्त व्यापार को उस स्थान से जहाँ वह अब चलाया जा रहा है हटा दें, या तारीख ..... को हाजिर हों, इत्यादि, इत्यादि;

अथवा

इसलिए मैं आपको निदेश देता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप ..... (अनुज्ञात समय लिखिए) के अंदर ..... (बाड़ की किस्म और जिस भाग में बाड़ लगाई जानी है वह लिखिए) पर्याप्त बाड़ लगाएं या तारीख ..... को हाजिर हों, इत्यादि;

अथवा

इसलिए मैं आपको निदेश देता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि ..... इत्यादि, इत्यादि (यथास्थिति)।

ता० .....  
(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

प्रस्तुप सं० २२  
मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना और अनिवार्य आदेश  
(धारा १६० देखिए)

प्रेषिती ..... (नाम, वर्णन और पता)

मैं आपको सूचना देता हूँ कि यह पाया गया है कि तारीख ..... को जारी किया गया और आपसे ..... (आदेश में की गई अपेक्षा का सार लिखिए) अपेक्षा करने वाला आदेश युक्तियुक्त और उचित है। वह आदेश अब अंतिम कर दिया गया है तथा मैं आपको निदेश देता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि ..... (अनुज्ञात समय लिखिए) के अंदर उक्त आदेश का अनुपालन करें, नहीं तो उसकी अवज्ञा के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 द्वारा उपबंधित शास्ति आपको भोगनी पड़ेगी।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

जाँच होने तक आसन्न खतरे के विरुद्ध उपबंध करने के लिए व्यादेश

(धारा 161 देखिए)

प्रेषिती .....(नाम, वर्णन और पता) तारीख ..... को  
मेरे द्वारा जारी किए गए सशर्त आदेश की जाँच अभी तक लंबित है और मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि  
उक्त आदेश में वर्णित न्यूसेस से जनता को ऐसा खतरा या गंभीर किस्म की हानि आसन्न है कि उस खतरे या  
हानि का निवारण करने के लिए अविलंब उपाय करना आवश्यक हो गया है; इसलिए मैं भारतीय नागरिक  
सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 161 के उपबंधों के अधीन आपको निदेश और व्यादेश देता हूँ कि आप  
जाँच का परिणाम निकलने तक के लिए तत्काल ..... (अस्थायी सुरक्षा के रूप में  
क्या किया जाना अपेक्षित है या स्पष्टतया लिखिए) करें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

न्यूसेंस की पुनरावृत्ति आदि का प्रतिषेध करने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश

(धारा 162 देखिए)

प्रेषिती ..... (नाम, वर्णन और पता)

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि ..... इत्यादि, इत्यादि (यथास्थिति, प्ररूप 21  
या प्ररूप 25 के अनुसार यहाँ उचित वर्णन कीजिए);

इसलिए मैं आपको सख्त आदेश और व्यादेश देता हूँ कि आप ..... उक्त  
न्यूसेंस की पुनरावृत्ति न करें या उसे चालू न रखें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

बाधा, बलवा आदि का निवारण करने के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश

(धारा 163 देखिए)

प्रेषिती ..... (नाम, वर्णन और पता)

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप ..... (संपत्ति का स्पष्ट वर्णन कीजिए) का कभी रखते हैं (या प्रबंध करते हैं) और उक्त भूमि में नाली खोदने में आप खोदी हुई मिट्टी और पत्थरों के कुछ भाग को पार्श्ववर्ती सार्वजनिक सड़क पर फेंकने या रख देने वाले हैं, जिससे सड़क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को बाधा की जोखिम पैदा होगी;

अथवा

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि आप और कई अन्य व्यक्ति ..... (व्यक्तियों के वर्ग का वर्णन कीजिए) समवेत होने वाले हैं और सार्वजनिक सड़क पर होकर जुलूस निकालने वाले हैं, इत्यादि (यथास्थिति) और ऐसे जुलूस से बलवा या दंगा हो जाना संभाव्य है;

अथवा

.....इत्यादि, इत्यादि (यथास्थिति);  
इसलिए मैं इसके द्वारा आपको आदेश देता हूँ कि आप भूमि में से खोदी हुई किसी भी मिट्टी या पत्थर को उक्त सड़क के किसी भी भाग पर न रखें और न रखने की अनुज्ञा दें;

अथवा

इसलिए मैं इसके द्वारा उक्त सड़क पर होकर जुलूस के जाने का प्रतिषेध करता हूँ और आपको सख्त चेतावनी और आदेश देता हूँ कि आप ऐसे जुलूस में कोई भाग न लें (या जैसा वर्णित मामले में अपेक्षित हो)।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

विवादग्रस्त भूमि आदि का कब्जा रखने के हकदार पक्षकार की घोषणा करने वाला मजिस्ट्रेट का  
आदेश

(धारा 164 देखिए)

सम्यक् रूप से अभिलिखित आधारों पर मुझे यह प्रतीत होने पर कि मेरी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित .....(विवाद-वस्तु थोड़े में लिखिए) से संबद्ध विवाद, जिससे परिशांति भंग हो जाना संभाव्य है ..... (पक्षकारों के नाम और निवास अथवा यदि विवाद ग्रामीणों के समूहों के बीच हैं तो केवल निवास का वर्णन कीजिए) के बीच है, सब उक्त पक्षकारों से अपेक्षा की गई थी कि वे उक्त ..... (विवाद-वस्तु) पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने दावों का लिखित कथन दें और तब उक्त पक्षकारों में से किसी के कब्जे के वैध अधिकार के दावे के गुणागुण के प्रति कोई निदेश किए बिना सम्यक् जाँच करने पर मेरा समाधान हो जाने पर कि उक्त ..... (नाम या वर्णन) का उस पर वास्तविक कब्जे का दावा सही है; मैं यह विनिश्चय करता हूँ और घोषित करता हूँ कि उक्त ..... (विवाद-वस्तु) पर उसका (या उनका) कब्जा है और, जब तक कि विधि के सम्यक् अनुक्रम में वह (या वे) निकाल न दिया जाए (या दिए जाएं) तब तक वह (या वे) ऐसा कब्जा रखने का हकदार है (या के हकदार हैं) और इस बीच में उसके (या उनके) कब्जे में किसी प्रकार का विघ्न डालने का मैं सख्त निषेध करता हूँ।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

भूमि आदि के कब्जे के बारे में विवाद के मामले में कुर्की का वारण्ट

(धारा 165 देखिए)

प्रेषिती ..... (स्थान) के पुलिस थाने का भारसाधक  
पुलिस अधिकारी (या ..... (स्थान) का कलक्टर)।

मुझे यह प्रतीत कराया गया है कि मेरी अधिकारिता की सीमाओं के अंदर स्थित .....  
(विवाद-वस्तु थोड़े में लिखिए) संबद्ध विवाद, जिससे परिशांति भंग हो जाना संभाव्य है .....  
(संबद्ध पक्षकारों के नाम और निवास, अथवा यदि विवाद ग्रामीणों के समूहों के बीच है तो केवल निवास का  
वर्णन कीजिए) के बीच है और तब उक्त पक्षकारों से सम्यक् रूप से अपेक्षा की गई थी कि वे उक्त  
..... (विवाद-वस्तु) पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने दावे का लिखित  
कथन दें, और उक्त दावों की सम्यक् जांच करने पर मैंने यह विनिश्चय किया है कि उक्त  
..... (विवाद-वस्तु) पर कब्जा उक्त पक्षकारों में से किसी का भी नहीं है (या  
यथापूर्वोक्त रूप में कब्जा किस पक्षकार का है इस बारे में अपना समाधान करने में मैं असमर्थ हूँ);

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त  
..... (विवाद-वस्तु) को उसका कब्जा लेकर और रखकर कुर्क करें और जब तक  
पक्षकारों के अधिकारों का या कब्जे के दावे का अवधारण करने वाली सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश  
प्राप्त न कर ली जाए या न कर लिया जाए तब तक उसे कुर्क रखे रहें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति  
को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

भूमि या जल पर किए जाने का प्रतिषेध करने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश

(धारा 166 देखिए)

मेरी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित ..... (विवाद-वस्तु को थोड़े में लिखिए) के उपयोग के अधिकार से संबद्ध, जिस भूमि (या जल) पर या अनन्य कब्जे का दावा ..... (व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्णन कीजिए) द्वारा किया गया है, विवाद उङ्गने पर और उसकी सम्यक् जांच से मुझे यह प्रतीत होने पर कि उक्त भूमि (या जल) का जनता (या यदि व्यक्ति-विशेष या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा उपयोग किया जाता है तो उसका या उनका वर्णन कीजिए) के लिए ऐसे उपयोग का उपभोग करना खुला रहा है और (यदि सारे वर्ष के उपयोग का उपभोग किया जाता है तो) उक्त जांच के संस्थित किए जाने के तीन मास के अंदर (या यदि उपयोग का विशिष्ट मौसमों में ही उपभोग किया जा सकता है तो कहिए) “उन मौसमों में से, जिनमें कि उसका उपभोग किया जा सकता है, अंतिम मौसम के दौरान” उक्त उपयोग का उपभोग किया गया है;

मैं यह आदेश देता हूँ कि उक्त ..... (कब्जे का या के दावेदार) या उसके (या उनके) हित में कोई व्यक्ति उक्त भूमि (या जल) का कब्जा, यथापूर्वक उपयोग के अधिकार के उपभोग का अपवर्जन करके, न लेगा (या प्रतिधारित न करेगा) जब तक वह (या वे) सक्षम न्यायालय की उसे (या उन्हें) अनन्य कब्जे का (या के) हकदार न्यायनिर्णीत करने वाली डिक्री या आदेश प्राप्त न कर ले (या लें)।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रारंभिक जाँच पर बंधपत्र और जमानतपत्र

(धारा 189 देखिए)

मैं ..... (नाम) जो ..... का हूँ .....  
के अपराध से आरोपित होने पर और जाँच के पश्चात् ..... मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने  
के लिए अपेक्षित किए जाने पर;

अथवा

और जाँच के पश्चात् अपना मुचलका इसलिए देने की अपेक्षा की जाने पर कि जब भी मुझसे अपेक्षा  
की जाएगी, मैं हाजिर होऊंगा : इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूँ कि मैं .....  
(स्थान) में ..... के न्यायालय में तारीख ..... को (या ऐसे  
दिन जब हाजिर होने की मुझसे इसके पश्चात् अपेक्षा की जाए) उक्त आरोप का अतिरिक्त उत्तर देने के लिए  
हाजिर होऊंगा और मैं अपने को आबद्ध करता हूँ कि यदि इसमें से कोई चूक करूँ तो मेरी  
..... रुपये की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

मैं इसके द्वारा अपने को (या हम संयुक्तः और पृथक्तः अपने को और अपने में से प्रत्येक को) उपर्युक्त  
.....(नाम) के लिए इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करता हूँ (या करते हैं) कि वह  
..... (स्थान) में ..... के न्यायालय में तारीख .....  
को (या ऐसे दिन जब हाजिर होने की उससे इसके पश्चात् अपेक्षा की जाए) अपने विरुद्ध लंबित आरोप का  
अतिरिक्त उत्तर देने के लिए हाजिर होगा, और मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूँ (या हम इसके द्वारा  
अपने को आबद्ध करते हैं) कि यदि इसमें वह चूक करे तो मेरी (या हमारी) .....  
रुपये की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

प्रस्तुप सं० ३०

अभियोजन चलाने के लिए या साक्ष्य देने के लिए बंधपत्र

(धारा १९० देखिए)

मैं ..... (नाम), जो ..... (स्थान) का हूँ, अपने को  
आबद्ध करता हूँ कि मैं तारीख ..... को ..... बजे  
..... के न्यायालय में हाजिर होऊंगा और वहीं और उसी समय क, ख, के विरुद्ध  
..... आरोप के मामले में अभियोजन चलाऊंगा (या अभियोजन चलाऊंगा और साक्ष्य  
दूंगा) (या साक्ष्य दूंगा), और मैं अपने को आबद्ध करता हूँ कि यदि इसमें मैं चूक करूँ तो मेरी  
..... रुपये की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

ता० .....

(हस्ताक्षर)

---

प्रस्तुप सं० ३१  
छोटे अपराध के अभियुक्त को विशेष समन  
(धारा २२९ देखिए)

प्रेषिती .....  
(अभियुक्त का नाम) .....  
..... (पता)

..... के छोटे अपराध (आरोपित अपराध का संक्षिप्त विवरण) के आरोप का उत्तर देने के लिए आपकी हाजिरी आवश्यक है, अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं (या अधिवक्ता द्वारा) ..... (मजिस्ट्रेट) के समक्ष 20 ..... के ..... मास के ..... दिन हाजिर हों या यदि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहै तो आप दोषी होने का लिखित रूप में अभिवचन और जुमाने के रूप में ..... रुपये की राशि उपरोक्त तारीख के पूर्व भेज दें, या यदि आप अधिवक्ता द्वारा हाजिर होना चाहें और दोषी होने का अभिवचन ऐसे अधिवक्ता की मार्फत करना चाहें तो अपनी ओर से इस प्रकार दोषी होने का अभिवचन करने के लिए आप ऐसे अधिवक्ता को लिखित रूप में प्राधिकृत करें और ऐसे अधिवक्ता की मार्फत जुमाने का संदाय करें। इसमें चूक नहीं होनी चाहिए।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

(टिप्पण—इस समन में विनिर्दिष्ट जुमाने की रकम पांच हजार रुपये से अधिक न होगी।)

---

मजिस्ट्रेट द्वारा लोक अभियोजक को सुपुर्दगी की सूचना

(धारा 232 देखिए)

.....का मजिस्ट्रेट सूचना देता है कि उसने ..... को अगले सेशन में विचारण के लिए सुपुर्द किया है; और मजिस्ट्रेट लोक अभियोजक को उक्त मामले में अभियोजन का संचालन करने का अनुदेश देता है।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि ..... इत्यादि (आरोप में दिया गया अपराध लिखिए)

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

(धारा 234, धारा 235 और धारा 236 देखिए)

**I. एक शीर्ष आरोप**

(1) (क) मैं ..... (मजिस्ट्रेट का नाम और पद, आदि)  
आप ..... (अभियुक्त व्यक्ति का नाम) पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ :-

(ख) धारा 147 पर—आपने तारीख ..... को, या उसके लगभग ..... में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 के अधीन दंडनीय अपराध है, और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

(ग) और मैं इसके द्वारा निदेश देता हूँ कि आपका इस न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पर विचारण किया जाए।

(मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर और मुद्रा)

[ (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए] :—

(2) धारा 151 पर—आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... भारत के राष्ट्रपति [या यथास्थिति (राज्य का नाम) के राज्यपाल] को ऐसे राष्ट्रपति (या यथास्थिति, राज्यपाल) के रूप में अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्त्वेरित करने के आशय से ऐसे राष्ट्रपति (या यथास्थिति, राज्यपाल) पर हमला किया, और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 151 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

(3) धारा 198 पर—आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में ऐसा आचरण किया (या यथास्थिति, करने का लोप किया) जो ..... अधिनियम की धारा ..... के उपबंधों के प्रतिकूल है और जिसके बारे में आपको ज्ञात था कि वह ..... पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 198 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

(4) धारा 229 पर—आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में ..... के समक्ष ..... के विचारण के अनुक्रम में साक्ष्य में कथन किया कि “ .....” जिस कथन के मिथ्या होने का आपको ज्ञान या विश्वास था, या जिसके सत्य होने का आपको विश्वास नहीं था; और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 229 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

(5) धारा 105 पर—आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध किया जिससे ..... की मृत्यु कारित हुई और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 105 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

(6) धारा 108 पर—आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में क, ख, द्वारा जो कि मत अवस्था में था, आत्महत्या किए जाने का दुष्प्रेरण

किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 108 के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

(7) धारा 117(2) पर—आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में ..... को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 117(2) के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

(8) धारा 309(2) पर—आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में ..... (नाम लिखिए) को लूटा और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 309(2) के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

(9) धारा 310(2) पर—आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में डकैती डाली जो अपराध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 310(2) के अधीन दंडनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

## II. दो या अधिक शीर्ष वाले आरोप

(1) (क) मैं ..... (मजिस्ट्रेट का नाम और पद, आदि) आप ..... (अभियुक्त व्यक्ति का नाम) पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ  
:—

(ख) धारा 179 पर—पहला—आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में एक सिक्का यह जानते हुए कि वह कूटकृत है, क, ख नाम के एक अन्य व्यक्ति को असली के रूप में परिदृष्ट किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 धारा 179 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

दूसरा—आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में एक सिक्का यह जानते हुए कि वह कूटकृत है, क, ख नाम के एक अन्य व्यक्ति को असली सिक्के के रूप में लेने के लिए दुर्ब्यापार करता है और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 179 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

(ग) और मैं इसके द्वारा निदेश देता हूँ कि आपका उक्त न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पर विचारण किया जाए।

(मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर और मुद्रा)

[(ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए] :—

(2) धारा 103 और 105 पर—पहला—आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में ..... की मृत्यु कारित करके हत्या की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

दूसरा—आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में ..... की मृत्यु कारित करके हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध किया और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 105 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

(3) धारा 303 (2) और 307 पर—पहला—आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में चोरी की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303 (2) के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

दूसरा—आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में, चोरी करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की तैयारी करके, चोरी की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 307 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

तीसरा—आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में, चोरी करने के पश्चात् निकल भागने के लिए किसी व्यक्ति का अवरोध कारित करने की तैयारी करके, चोरी की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 307 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

चौथा—आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को प्रतिधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को उपहति का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 307 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

(4) धारा 229 पर अनुकूली आरोप—आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में ..... के समक्ष ..... की जांच के अनुक्रम में साक्ष्य में कथन किया कि “.....” और आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में ..... के समक्ष ..... के विचारण के अनुक्रम में साक्ष्य में कथन किया कि “.....” जिन दो कथनों में से एक के मिथ्या होने का आपको ज्ञान या विश्वास था या उसके सत्य होने का आपको विश्वास नहीं था और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है।

(मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारित किए जाने वाले मामलों में “सेशन न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत है” के स्थान पर “मेरे संज्ञान के अंतर्गत है” लिखिए।)

### III. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् चोरी के आरोप

मैं ..... (मजिस्ट्रेट का नाम और पद आदि) ..... आप ..... (अभियुक्त व्यक्ति का नाम) पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ :—

यह कि आपने तारीख ..... को या उसके लगभग ..... में चोरी की और उसके द्वारा आपने ऐसा अपराध किया जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303 (2) के अधीन दंडनीय है और सेशन न्यायालय (या, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट) के संज्ञान के अंतर्गत है।

और आप, उक्त ..... (अभियुक्त का नाम) पर यह भी आरोप है कि आप उक्त अपराध करने के पूर्व अर्थात् तारीख ..... को ..... के ..... (वह न्यायालय लिखिए जिसके द्वारा दोषसिद्धि की गई थी) द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 17 के अधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए अर्थात् रात्रि गृह-भेदन के अपराध ..... (उस धारा के शब्दों में अपराध का वर्णन कीजिए जिसके अधीन अभियुक्त दोषसिद्धि किया गया था) के लिए दोषसिद्धि किए गए थे जो दोषसिद्धि अब

तक पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावशील है और आप भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 13 के अधीन परिवर्धित दंड से दंडनीय है।

और मैं इसके द्वारा निदेश देता हूँ कि आपका विचारण किया जाए, इत्यादि।

---

प्रेषिती ..... (स्थान)

का ..... नाम

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि ..... (पता) के ..... (अभियुक्त का नाम) ने ..... (समय और स्थान सहित अपराध थोड़े में लिखिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और मुझे यह प्रतीत होता है कि संभाव्य है कि आप अभियोजन के लिए तात्त्विक साक्ष्य दें या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करें;

इसलिए आपको समन किया जाता है कि ऐसा दस्तावेज या चीज पेश करने या उक्त परिवाद के विषय से संबद्ध आप जो कुछ जानते हों उसका अभिसाक्ष्य देने के लिए इस न्यायालय के समक्ष तारीख ..... को दिन में दस बजे हाजिर हों और न्यायालय की इजाजत के बिना वहाँ से न जाएं और आपको इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि यदि न्यायसंगत कारण के बिना आपने उस तारीख पर हाजिर होने में उपेक्षा की या उससे इंकार किया तो आपको हाजिर होने को विवश करने के लिए वारण्ट जारी किया जाएगा।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

यदि कारावास या जुर्माने का दंडादेश न्यायालय द्वारा दिया गया है तो  
उस पर सुपुर्दगी का वारण्ट

(धारा 258, धारा 271 और धारा 278 देखिए)

प्रेषिती ..... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी  
सन् ..... के कैलेण्डर के मामले संख्यांक ..... में बंदी  
(या यस्थास्थिति पहले, दूसरे, तीसरे बंदी) ..... (बंदी का नाम)  
..... को मेरे द्वारा ..... (नाम और शासकीय पदाधिकारी)  
भारतीय न्याय संहिता की (या ..... अधिनियम की) धारा (या धाराओं)  
..... के अधीन ..... (अपराधों का थोड़े में वर्णन कीजिए)  
के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और ..... (दंड पूर्णतया और स्पष्टतया  
लिखिए) के लिए तारीख ..... को दंडादिष्ट किया गया।  
इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त  
..... (बंदी का नाम) को उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लेकर  
पूर्वोक्त दंड को विधि के अनुसार निष्पादित करें।  
ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

प्रतिकर का संदाय करने में असफल रहने पर कारावास का वारण्ट

(धारा 273 देखिए)

प्रेषिती .....(स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी  
.....(नाम और वर्णन) ने .....(अभियुक्त का नाम और  
वर्णन) के विरुद्ध यह परिवाद किया है कि .....(इसे थोड़े में वर्णन कीजिए) और  
वह इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि उक्त (नाम) .....के विरुद्ध  
अभियोग लगाने के लिए उचित आधार नहीं है और खारिज करने का आदेश यह अधिनिर्णीत करता है कि  
उक्त .....(परिवादी का नाम) द्वारा प्रतिकर के रूप में .....  
रूपये की राशि का संदाय किया जाए; और उक्त राशि अभी तक दी नहीं गई है और यह आदेश कर दिया  
गया है कि उसे .....दिन की अवधि के लिए, यदि पूर्वोक्त राशि उससे पूर्व नहीं दे  
दी जाती है तो जेल में सादा कारावास में रखा जाए।

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त  
.....(नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और भारतीय न्याय  
संहिता की धारा 10 (6ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उससे उक्त जेल में उक्त अवधि  
.....(कारावास की अवधि) के लिए, यदि उक्त राशि उससे पूर्व नहीं दे दी जाती है  
तो सुरक्षित रखें और उक्त राशि के प्राप्त होने पर उसे तत्काल स्वतंत्र कर दें और इस वारण्ट के निष्पादन की  
रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

कारागार में बंद व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए न्यायालय में पेश करने  
की अपेक्षा करने वाला आदेश

(धारा 302 देखिए)

प्रेषिती .....(स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी

उक्त कारागार में इस समय परिरुद्ध/निरुद्ध ..... (बंदी का नाम) की इस  
न्यायालय में हाजिरी ..... (आरोपित अपराध संक्षेप में लिखिए) के आरोप का उत्तर  
देने के लिए या ..... (कार्यवाही की संक्षिप्त विशिष्टियाँ दीजिए) कार्यवाही के  
प्रयोजनार्थ अपेक्षित है;

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ..... को सुरक्षित और  
सुनिश्चित रूप से लाकर उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए या उक्त कार्यवाही के प्रयोजनार्थ तारीख  
..... को दिन में ..... बजे इस न्यायालय के समक्ष पेश करें  
और इस न्यायालय द्वारा उसे आगे हाजिर करने से छूट दिए जाने पर उसे उक्त कारागार को सुरक्षित और  
सुनिश्चित रूप से वापस ले जाएं।

और आपसे यह और अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ..... को इस आदेश  
की अंतर्वस्तु की इतिला दें और उसकी संलग्न प्रति उसे परिदृष्ट करें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षरित

(मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में पेश करने की  
अपेक्षा करने वाला आदेश  
(धारा 302 देखिए)

प्रेषिती ..... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी

इस न्यायालय के समक्ष परिवाद किया गया है कि ..... (स्थान) के  
..... (अभियुक्त का नाम) ने ..... (समय और स्थान सहित  
अपराध थोड़े में लिखिए) का अपराध किया है और यह प्रतीत होता है कि उक्त कारागार में इस समय  
परिरुद्ध/निरुद्ध ..... (बंदी का नाम) अभियोजन/प्रतिरक्षा के लिए तात्त्विक साक्ष्य दे  
सकता है;

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ..... को सुरक्षित और  
सुनिश्चित रूप से लाकर इस न्यायालय के समक्ष लंबित मामले में साक्ष्य देने के लिए तारीख  
..... को दिन में ..... बजे इस न्यायालय के समक्ष पेश करें  
और इस न्यायालय द्वारा उसे आगे हाजिर करने से छूट दिये जाने पर उसे उक्त कारागार को सुरक्षित और  
सुनिश्चित रूप से वापस ले जाएं;

और आपसे यह और अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ..... को इस आदेश  
की अंतर्वस्तु की इतिला दें और उसकी संलग्न प्रति उसे परिदित करें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षरित

(मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

अवमान के ऐसे मामलों में सुपुर्दगी का वारण्ट जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया है

(धारा ३४ देखिए)

प्रेषिती ..... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी

आज मेरे समक्ष हुए न्यायालय में ..... (अपराधी का नाम और वर्णन) ने न्यायालय की उपस्थिति में (या दृष्टिगोचरता में) जानबूझकर अवमान किया है;

और ऐसे अवमान के लिए उक्त ..... (अपराधी का नाम) को ..... रूपये का जुर्माना देने के लिए या उसमें चूक करने पर ..... (मास या दिनों की संख्या लिखिए) अवधि के लिए सादा कारावास भुगतने के लिए न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णीत किया गया है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ..... (अपराधी का नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट सहित लें और, उक्त जेल में ..... (कारावास की अवधि) की उक्त अवधि के लिए, जब तक उक्त जुर्माना उससे पूर्व न दे दिया जाए, सुरक्षित रखें और उक्त जुर्माने के प्राप्त होने पर उसे तत्काल स्वतंत्र कर दें और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

उत्तर देने से या दस्तावेज पेश करने से इंकार करने वाले साक्षी की सुपुर्दगी के लिए मजिस्ट्रेट या  
न्यायाधीश का वारण्ट  
(धारा ३८८ देखिए)

प्रेषिति .....

(न्यायालय के अधिकारी का नाम और पदाभिधान)

.....(नाम और वर्णन) ने साक्षी के रूप में समन किए जाने पर (या इस न्यायालय के समक्ष लाए जाने पर) और अभिकथित अपराध की जांच में साक्ष्य देने की आज अपेक्षा की जाने पर उक्त अभिकथित अपराध के बारे में उससे पूछे गए और सम्यक् रूप से अभिलिखित प्रश्न (या प्रश्नों) का उत्तर देने से या दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा किए जाने पर ऐसे दस्तावेज को पेश करने से इंकार किया है और इंकार करने के लिए किसी न्यायसंगत प्रतिहेतु का अभिकथन नहीं किया है और इस इंकार के लिए उसको ..... (न्यायनिर्णीत निरोध की अवधि) के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के लिए आदिष्ट किया गया है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ..... (नाम) को अपनी अभिरक्षा में लें और उसे अपनी अभिरक्षा में ..... दिनों की अवधि के लिए, जब तक कि इस बीच में ही वह अपनी ऐसी परीक्षा किए जाने और उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या उससे अपेक्षित दस्तावेज को पेश करने के लिए सहमत न हो जाए, सुरक्षित रखें और उसे इन दिनों में से अंतिम दिन या ऐसी सहमति के ज्ञात होने पर तत्काल, विधि के अनुसार कार्रवाई की जाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष लाएं और इस वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

मृत्यु दंडादेश के अधीन सुपुर्दगी का वारण्ट

(धारा 407 देखिए)

प्रेषिती ..... (स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी  
तारीख ..... को मेरे समक्ष हुए सेशन में ..... (बंदी  
का नाम), जो कि उक्त सेशन में 20 ..... के कैलेण्डर के मामला संचालक  
..... में बंदी (या यथास्थिति, पहला, दूसरा, तीसरा बंदी) है, भारतीय न्याय संहिता  
की धारा ..... के अधीन हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध के  
अपराध के लिए सम्यक् रूप से दोषसिद्ध किया गया था और ..... के  
..... न्यायालय द्वारा उक्त दंडादेश की पुष्टि किए जाने के अध्यधीन रहते हुए, मृत्यु  
के लिए दंडादिष्ट हुआ;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त  
..... (बंदी का नाम) को उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें  
और उसे वहाँ तब तक सुरक्षित रखें जब तक कि उक्त ..... न्यायालय के आदेश को  
प्रभावशील करने के लिए इस न्यायालय का आगे वारण्ट या आदेश आपको न मिले।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

दंडादेश के लघुकरण के पश्चात् वारण्ट

(धारा 427, धारा 453 और धारा 456 देखिए)

प्रेषिती ..... (स्थान) की जेल का  
भारसाधक अधिकारी

तारीख ..... को हुए सेशन में ..... (बंदी का नाम),  
जो उक्त सेशन में 20 ..... के कलेण्डर के मामला संख्यांक  
..... में बंदी (या, यथास्थिति, पहला, दूसरा, तीसरा बंदी) है, भारतीय न्याय संहिता,  
2023 की धारा ..... के अधीन दंडनीय ..... के अपराध के  
लिए दोषसिद्ध किया गया था और ..... के लिए दंडादिष्ट किया गया था और तब  
आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था तथा ..... के .....  
न्यायालय के आदेश द्वारा (जिसकी दूसरी प्रति इसके साथ संलग्न है) उक्त दंडादेश द्वारा न्यायनिर्णीत दंड का  
आजीवन कारावास ..... के दंड के रूप में लघुकरण किया गया है :

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त  
..... (बंदी का नाम) को उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में, विधि द्वारा अपेक्षित रूप  
में, तब तक सुरक्षित रखें जब तक वह उक्त आदेश के अधीन आजीवन कारावास का दंड भुगतने के प्रयोजन  
के लिए आपके द्वारा समुचित प्राधिकारी को और अभिरक्षा में परिदृत न कर दिया जाए।

अथवा

यदि कम किया गया दंडादेश कारावास का है तो “उक्त जेल में अपनी अभिरक्षा में” शब्दों के पश्चात्  
लिखिए “सुरक्षित रखें और वहाँ उक्त आदेश के अधीन कारावास के दंड को विधि के अनुसार निष्पादित  
करें”।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का वारण्ट

(धारा 453 और धारा 454 देखिए)

प्रेषिती ..... (स्थान) की जेल  
का भारसाधक अधिकारी

तारीख ..... को मेरे समक्ष हुए सेशन में २० ..... के  
कलेण्डर के मामला संख्यांक ..... में बंदी ..... (या,  
यथास्थिति, पहला, दूसरा, तीसरा बंदी) ..... (बंदी का नाम) इस न्यायालय के  
तारीख ..... के वारण्ट द्वारा मृत्यु का दंडादेश देकर आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया  
गया था; तथा उक्त दंडादेश को पुष्ट करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश इस न्यायालय को प्राप्त हो गया  
है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त  
..... को ..... (निष्पादन का समय और स्थान) में जब तक  
वह मर न जाए तब तक गर्दन से लटकवाकर उक्त दंडादेश का निष्पादन करें और यह वारण्ट इस न्यायालय  
को पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करते हुए लौटा दें कि दंडादेश का निष्पादन कर दिया गया है।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

कुर्की और विक्रय द्वारा जुमाने का उद्घाटन करने के लिए वारण्ट

(धारा 461 देखिए)

प्रेषिती .....

(उस पुलिस अधिकारी का या उस अन्य व्यक्ति का या उन अन्य व्यक्तियों के नाम और पदाभिधान जिसे या जिन्हें वारण्ट निष्पादित करना है।)

..... (अपराधी का नाम और वर्णन) तारीख  
..... को ..... (अपराध का थोड़े में वर्णन कीजिए) के  
अपराध के लिए मेरे समक्ष दोषसिद्ध किया गया था और ..... रुपये का जुर्माना देने  
के लिए दंडादिष्ट किया गया था तथा उक्त ..... (नाम) ने उक्त जुर्माना देने की  
अपेक्षा की जाने पर भी वह जुर्माना या उसका कोई भाग नहीं दिया है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप<sup>.....</sup> जिले के अंदर पाई जाने वाली उक्त ..... (नाम) की  
किसी भी जंगम संपत्ति को कुर्क करें; और यदि ऐसी कुर्की के ठीक पश्चात् .....  
..... (अनुज्ञात दिनों या घंटों की संख्या) के अंदर (या तत्काल) उक्त राशि न दी  
जाए तो कुर्क की गई जंगम संपत्ति का या उसके इतने भाग का जितना उक्त जुमाने की पूर्ति के लिए पर्याप्त  
हो, विक्रय कर दें और इस वारण्ट के अधीन जो कुछ आपने किया हो उसे प्रमाणित करते हुए इसे, इसका  
निष्पादन हो जाने पर, पृष्ठांकन करके तुरंत लौटा दें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

जुर्माने की वसूली के लिए वारण्ट

(धारा 461 देखिए)

प्रेषिती .....  
जिले का कलेक्टर।

..... (अपराधी का नाम, पता और वर्णन) को 20  
..... के ..... मास के ..... दिन  
..... (अपराध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए) के अपराध के लिए मेरे समक्ष सिद्धदोष  
किया गया था और ..... रूपये का जुर्माना देने के लिए दंडादिष्ट किया गया था; और  
उक्त ..... (नाम) से यद्यपि उक्त जुर्माना देने की अपेक्षा की गई थी किंतु उसने  
वह जुर्माना या उसका कोई भाग नहीं दिया है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप उक्त  
..... (नाम) की जंगम या स्थावर संपत्ति या दोनों से उक्त जुर्माने की रकम भू-राजस्व  
की बकाया के रूप में वसूल कीजिए और अविलंब यह प्रमाणित कीजिए कि आपने इस आदेश के अनुसरण  
में क्या किया है।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

जुर्माने के वसूल होने तक छोड़े गए अपराधी के हाजिर होने के लिए बंधपत्र

(धारा 464 (1) (ख) देखिए)

मैं .....(नाम) .....(स्थान) का निवासी हूँ। मुझे ..... रुपये का जुर्माना देने के लिए दंडादिष्ट किया गया था और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर ..... (अवधि) के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है। न्यायालय ने इस शर्त पर मेरे छोड़े जाने का आदेश किया है कि मैं निम्नलिखित तारीख (या तारीखों) को हाजिर होने के लिए एक बंधपत्र निष्पादित करूँ, अर्थात् :—

मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूँ कि मैं ..... न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तारीख (या तारीखों) को, अर्थात् ..... बजे हाजिर होऊंगा और मैं अपने को आबद्ध करता हूँ कि यदि मैं इसमें व्यतिक्रम करूँ तो मेरी ..... रुपये की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

जहाँ बंधपत्र प्रतिभुओं के साथ निष्पादित किया जाना है वहाँ यह जोड़ें

हम इसके द्वारा अपने को उपर्युक्त .....(नाम) के लिए इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करते हैं कि वह ..... न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तारीख (या तारीखों) अर्थात् ..... को हाजिर होगा और हम इसके द्वारा अपने को संयुक्ततः और पृथक्तः आबद्ध करते हैं कि इसमें उसके द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर हमारी ..... रुपये की राशि सरकार को समपहृत हो जाएगी।

(हस्ताक्षर)

थाने या न्यायालय के भारसाधक अधिकारी के समक्ष हाजिर होने के लिए बंधपत्र और  
जमानतपत्र

(धारा 478, धारा 479, धारा 480, धारा 481, धारा 482(3) और धारा 485 देखिए)

मैं ..... (नाम) ..... (स्थान) का निवासी हूँ  
..... थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारण्ट गिरफ्तार या निरुद्ध कर लिए  
जाने पर (या ..... न्यायालय के समक्ष लाए जाने पर) अपराध से आरोपित किया  
गया हूँ तथा मुझसे ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष हाजिरी के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा की गई  
है; मैं अपने को इस बात के लिए आबद्ध करता हूँ कि मैं ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रत्येक  
दिन, हाजिर होऊंगा, जिसको ऐसे आरोप की बाबत कोई अन्वेषण या विचारण किया जाए, तथा मैं अपने  
को आबद्ध करता हूँ कि यदि इसमें मैं चूक करूँ तो मेरी ..... रुपये की राशि सरकार  
को समपहत हो जायगी।

ता० .....

(हस्ताक्षर)

मैं इसके द्वारा अपने को (या हम संयुक्तः और पृथक्तः अपने को और अपने में से प्रत्येक को)  
उपरोक्त.....(नाम) के लिए इस बात के लिए प्रतिभू घोषित करता हूँ (या करते हैं)  
कि वह ..... थाने के भारसाधक अधिकारी या .....  
न्यायालय के समक्ष ऐसे प्रत्येक दिन, जिसको आरोप का अन्वेषण किया जाएगा या ऐसे आरोप का विचारण  
किया जाएगा, हाजिर होगा, कि वह ऐसे अधिकारी या न्यायालय के समक्ष (यथास्थिति) ऐसे अन्वेषण के  
प्रयोजन के लिए या उसके विरुद्ध आरोप का उत्तर देने के लिए उपस्थित होगा और मैं इसके द्वारा अपने को  
आबद्ध करता हूँ (या हम अपने को आबद्ध करते हैं) कि इसमें उसके द्वारा चूक किए जाने की दशा में  
मेरी/हमारी ..... रुपये की राशि सरकार को समपहत हो जाएगी।

ता० .....

(हस्ताक्षर)

---

प्रतिभूति देने में असफल रहने पर कारावासित व्यक्ति के उन्मोचन के लिए वारण्ट

(धारा 487 देखिए)

प्रेषिती .....(स्थान) की जेल का भारसाधक अधिकारी

(या वह अन्य अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में उक्त व्यक्ति हैं)

(बन्दी का नाम और वर्णन) तारीख ..... के इस न्यायालय के वारण्ट के अधीन आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया था और उसने तत्पश्चात् अपने प्रतिभू (या प्रतिभूओं) के सहित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 485 के अधीन बन्धपत्र सम्यक् रूप से निष्पादित कर दिया है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ..... (नाम) को अपनी अभिरक्षा से, जब तक कि किसी दूसरी बात के लिए उसका निरुद्ध किया जाना आवश्यक न हो, तक्ताल उन्मोचित कर दें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

बन्धपत्र प्रवर्तित कराने के लिए कुर्की का वारण्ट

(धारा 491 देखिए)

प्रेषिती .....(स्थान) के पुलिस थाने का भारसाधक पुलिस अधिकारी।

(व्यक्ति का नाम, वर्णन और पता) अपने मुचलके के अनुसरण में .....  
(अवसर का उल्लेख करें) पर हाजिर होने में असफल रहा है और इस व्यतिक्रम के कारण उसकी .....(बंधपत्र में वर्णित शास्ति) रूपये की राशि सरकार को समपहत हो गई है और  
उक्त ..... (व्यक्ति का नाम), को सम्यक् सूचना दिए जाने पर, उक्त राशि देने में या  
इस बात का कि उक्त राशि की वसूली उससे क्यों न की जाए, पर्याप्त कारण बताने में असफल रहा है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है कि और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .....(नाम) की ..... जिले के भीतर पाई जाने वाली जंगम सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण और निरोध करके कुर्क कर लें और यदि उक्त राशि ..... दिन के भीतर नहीं दे दी जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति को या उसके उतने भाग को, जो उपर्युक्त राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो, बेच दें और इस वारण्ट का निष्पादन करने पर तुरंत यह विवरण दें कि आपने इस वारण्ट के अधीन क्या किया है।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

प्रस्तुप सं० ५०

बंधपत्र का भंग होने पर प्रतिभू को सूचना

(धारा 491 देखिए)

प्रेषिती ..... (नाम और पता)

आप तारीख ..... को ..... (नाम) .....  
(स्थान) के इसलिए प्रतिभू बने थे कि वह इस न्यायालय के समक्ष ..... (तारीख) को  
हाजिर होगा और आपने अपने को आबद्ध किया था कि यदि इसमें व्यतिक्रम होता है तो आपकी  
..... रुपये की राशि सरकार को समरपहत हो जाएगी; और उक्त (नाम) इस न्यायालय  
के समक्ष हाजिर होने में असफल रहा है और इस व्यतिक्रम के कारण आपकी .....  
रुपये की उपर्युक्त राशि समरपहत हो गई है।

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप आज की तारीख से ..... दिन के  
भीतर उक्त शास्ति का संदाय कर दें या यह कारण बताएं कि आपसे उक्त राशि वसूल क्यों न की जाए।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

सदाचार के लिए बंधपत्र के सम्पहरण की प्रतिभू को सूचना

(धारा 491 देखिए)

प्रेषिती ..... (नाम और पता)

आप तारीख ..... को ..... (नाम)  
..... (स्थान) के लिए इस बंधपत्र द्वारा प्रतिभू बने थे कि वह  
..... अवधि के लिए सदाचारी रहेगा और आपने अपने को आबद्ध किया था कि  
इसमें व्यतिक्रम होने पर आपकी ..... रुपये की राशि सरकार को सम्पहरत हो  
जाएगी; और आपके ऐसे प्रतिभू बनने के बाद से उक्त ..... (नाम) को  
..... (यहाँ पर संक्षेप में अपराध का उल्लेख करें) के अपराध के लिए दोषसिद्ध  
किया गया है, इस कारण आपका प्रतिभूति बंधपत्र सम्पहरत हो गया है;

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ..... दिन के भीतर उक्त  
..... रुपये की शास्ति दे दें या यह कारण बताएं कि उसका संदाय क्यों नहीं किया  
जाना चाहिए।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

प्रतिभू के विरुद्ध कुर्की का वारण्ट

(धारा ४९१ देखिए)

प्रेषिती ..... (नाम और पता)

..... (नाम, वर्णन और पता) ने अपने को  
..... की हाजिरी के लिए प्रतिभू के रूप में आबद्ध किया है कि (बंधपत्र की शर्त का  
उल्लेख कीजिए) और उक्त .....(नाम) ने व्यतिक्रम किया है और इस कारण उसकी  
..... (बंधपत्र में वर्णित शास्ति) रूपये की राशि सरकार को समर्पित हो गई है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त  
..... (नाम) की ..... जिले के भीतर पाई जाने वाली जंगम  
सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण और निरोध करके कुर्क कर लें; और यदि उक्त राशि  
.....दिन के भीतर नहीं दे दी जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति को या  
उसके उतने भाग को जो उपर्युक्त राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो, बेच दें और इस वारण्ट का निष्पादन  
करने पर तुरंत यह विवरण दें कि आपने इस वारण्ट के अधीन क्या किया है।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

जमानत पर छोड़े गए अभियुक्त व्यक्ति के प्रतिभू की सुपुर्दगी का वारण्ट

(धारा 491 देखिए)

प्रेषिती ..... (स्थान) की सिविल जेल का अधीक्षक (या पालक)।

..... (प्रतिभू का नाम और वर्णन) ने अपने को ..... की हाजिरी के लिए प्रतिभू के रूप में आबद्ध किया है कि ..... (बंधपत्र की शर्त का उल्लेख कीजिए) और उक्त ..... (नाम) को इसमें व्यतिक्रम किया है इसलिए उक्त बंधपत्र में वर्णित शास्ति सरकार को समपहृत हो गई है; और उक्त ..... (प्रतिभू का नाम), को सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त राशि का संदाय करने में या ऐसा पर्याप्त कारण बताने में असफल रहा है कि उससे उक्त राशि वसूल क्यों न की जाए तथा वह राशि उसकी जंगम सम्पत्ति की कुर्की और उसे बेचकर वसूल नहीं की जा सकती है, और सिविल जेल में ..... (अवधि का उल्लेख कीजिए) के लिए उसके कारावास का आदेश किया गया है;

इसलिए आप अर्थात् उक्त ..... अधीक्षक (या पालक) को प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ..... (नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उसे उक्त जेल में उक्त ..... (कारावास की अवधि) के लिए सुरक्षित रखें और वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

परिशान्ति कायम रखने के लिए बंधपत्र के समपहरण की कर्ता को सूचना

(धारा 491 देखिए)

प्रेषिती .....(नाम, वर्णन और पता)

आपने तारीख ..... को यह बंधपत्र निष्पादित किया था कि आप ..... (जैसा बंधपत्र में हो) नहीं करेंगे और उस बंधपत्र के समपहरण का सबूत मेरे समक्ष दिया गया है और वह सम्यक् रूप से अभिलिखित कर लिया गया है;

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ..... दिन के भीतर ..... रूपये की उक्त शास्ति का संदाय कर दें या यह कारण बताएं कि आपसे उक्त राशि वसूल क्यों न की जाए।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र का भंग होने पर कर्ता की सम्पत्ति की कुर्की का वारण्ट

(धारा 491 देखिए)

प्रेषिती .....(स्थान) के पुलिस थाने का ..... (पुलिस  
अधिकारी का नाम और पदनाम)।

..... (नाम और वर्णन) ने तारीख ..... को .....  
..... रूपये की राशि के लिए एक बंधपत्र निष्पादित किया था जिसमें उसने अपने को आबद्ध  
किया था कि वह परिशांति का भंग आदि (जैसा बंधपत्र में हो) नहीं करेगा और उक्त बंधपत्र के सम्पर्क का  
सबूत मेरे समक्ष दिया गया है और वह सम्यक् रूप से अभिलिखित कर लिया गया है; और उक्त (नाम)  
..... को सूचना देकर उससे अपेक्षा की गई है कि वह कारण बताए कि उक्त राशि  
का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा वह ऐसा करने में या उक्त राशि का संदाय करने में असफल  
रहा है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त (नाम) की  
..... जिले में पाई जाने वाली ..... रूपये के मूल्य की जंगम  
सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण करके कुर्क कर लें और यदि उक्त राशि ..... के भीतर  
नहीं दे दी जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति या उसके उतने भाग को जो उस राशि की वसूली के  
लिए पर्याप्त हो, बेच दें और वारण्ट का निष्पादन करने पर तुरंत यह विवरण दें कि आपने इस वारण्ट के  
अधीन क्या किया है।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

परिशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र का भंग होने पर कारावास का वारण्ट

(धारा 491 देखिए)

प्रेषिती ..... (स्थान) की सिविल जेल का अधीक्षक (या पालक);

मेरे समक्ष इस बात का सबूत दिया गया है और वह सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है कि .....(नाम और वर्णन) में उस बंधपत्र का भंग किया है जो उसने परिशांति कायम रखने के लिए निष्पादित किया था और इसलिए उसकी ..... रूपये की राशि सरकार को सम्पहत हो गई है, और उक्त ..... (नाम) ऊपर बताई गई राशि का संदाय करने में या यह कारण बताने में कि उक्त राशि का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए, असफल रहा है, यद्यपि उससे ऐसा करने की सम्यक् रूप से अपेक्षा की गई थी तथा उक्त राशि की वसूली उसकी जंगम सम्पत्ति की कुर्की करके नहीं की जा सकती है और ..... (कारावास की अवधि) की अवधि के लिए सिविल जेल में उक्त ..... (नाम) के कारावास के लिए आदेश किया गया है;

इसलिए आपको अर्थात् उक्त सिविल जेल के अधीक्षक (या पालक) को प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ..... (नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उसे उक्त अवधि ..... (कारावास की अवधि) के लिए उक्त जेल में सुरक्षित रखें और वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

---

सदाचार के बंधपत्र के समपहरण पर कुर्की और विक्रय का वारण्ट  
(धारा 491 देखिए)

प्रेषिती ..... (स्थान) के पुलिस थाने का भारसाधक  
पुलिस अधिकारी,

..... (नाम, वर्णन और पता) ने तारीख  
..... को ..... (कर्ता का नाम आदि) के सदाचार के लिए  
..... रूपये की राशि के बंधपत्र द्वारा प्रतिभूति दी थी और मेरे समक्ष यह सबूत दिया  
गया है और वह सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है कि उक्त ..... (नाम) ने  
..... का अपराध किया है और इसलिए उक्त बंधपत्र समपहृत हो गया है, और उक्त  
..... (नाम) को यह अपेक्षा करते हुए सूचना दी गई थी कि वह कारण बताए कि  
उक्त रकम का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा वह ऐसा करने में या उक्त राशि का संदाय करने में  
असफल रहा है;

इसलिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त  
.....(नाम) की .....जिले में पाई जाने वाली  
..... रूपये के मूल्य की जंगम सम्पत्ति को, उसका अभिग्रहण करके कुर्क कर लें  
और यदि उक्त राशि ..... के भीतर नहीं दे दी जाती है तो इस प्रकार कुर्क की गई  
सम्पत्ति या उसके उतने भाग को जो उस राशि की वसूली के लिए पर्याप्त हो बेच दें और इस वारण्ट का  
निष्पादन करने पर तुरंत यह विवरण दें कि आपने इस वारण्ट के अधीन क्या किया है।

ता० .....

(न्यायालय की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

सदाचार के लिए बंधपत्र के सम्पर्हण पर कारावास का वारण्ट

(धारा 491 देखिए)

प्रेषिती .....(स्थान) की सिविल जेल का अधीक्षक (या पालक) .....(नाम, वर्णन और पता) ने तारीख ..... को .....(कर्ता का नाम आदि) के सदाचार के लिए ..... रुपये की राशि के बंधपत्र द्वारा प्रतिभूति दी थी और उक्त बंधपत्र के भंग किए जाने का सबूत मेरे समक्ष दिया गया है और वह सम्यक् रूप से अभिलिखित कर लिया गया है और इसलिए उक्त .....(नाम) को ..... की रुपये की राशि सरकार को सम्पर्हत हो गई है; और वह उक्त राशि का संदाय करने में या यह कारण बताने में कि उक्त राशि का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए असफल रहा है, यद्यपि उससे ऐसा करने की अपेक्षा सम्यक् रूप से की गई थी और उक्त राशि की वसूली उसकी जंगम सम्पत्ति की कुर्की द्वारा नहीं की जा सकती है और सिविल जेल में .....(कारावास की अवधि) अवधि के लिए उक्त .....(नाम) के कारावास के लिए आदेश कर दिया गया है;

इसलिए आप अर्थात् अधीक्षक (या पालक) को प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .....(नाम) को अपनी अभिरक्षा में इस वारण्ट के सहित लें और उसे उक्त जेल में उक्त अवधि .....(कारावास की अवधि) के लिए सुरक्षित रखें और वारण्ट के निष्पादन की रीति को पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करते हुए इसे लौटा दें।

ता० .....

(हस्ताक्षर)

(न्यायालय की मुद्रा)

---